

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
समाचार भाग-2
(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
मंगलवार 4 जुलाई, 2006/आषाढ 23, 1928 (शक)

संख्या-179

विषय:- सदस्य की गिरफ्तारी एवं रिहाई।

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, दक्षिण-पश्चिम जिला, दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री हरशरण सिंह बल्ली पुत्र स्व. श्री मलिक सिंह वोहरा, निवासी-7/13, सुभाष नगर, नई दिल्ली के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 341/353 के अंतर्गत पुलिस स्टेशन मायापुरी में दर्ज एफ.आई.आर. नंबर-332/04 के मामले में श्री गौतम मानन, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, पटियाला हाउस कोर्टस, नई दिल्ली की माननीय अदालत द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किये गये। उन्हें गिरफ्तार कर आज दिनांक 28.6.2006 को संबंधित कोर्ट में पेश किया गया और 10000/- रुपये के मुचलके पर रिहा किया गया।

सिद्धार्थ राव
सचिव

**DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
BULLETIN PART-II**

(General information relating to legislative and other matters)
Tuesday, 4th July 2006/23 Ashadh 1928

No. 179

Sub : **DETENTION AND RELEASE OF MEMBER**

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from Addl. DCP, South-West District, Delhi.

"I am to inform you that a warrant of arrest was issued against. Sh. Harsharan Singh Balli S/o Late Sh. Mallik Singh Vohra R/o 7/13, Subhash Nagar, New Delhi, MLA, Vidhan Sabha, NCT Delhi in Case FIR No. 332/04 U/s 341/353/186 IPC PS. Mayapuri from the Hon'ble Court of Sh. Gautam Mannan MM/ Patilala House Courts, New Delhi. He was arrested and produced in the concerned Court today i.e 28.6.2006 and later on he was released on bail of Rs. 10000/-."

Siddharath Rao
Secretary